न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,
कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

क्रमांक: कोर्ट / रीडर / 2023 / 476 दिनांक– 21.09.2023

प्रेषिति– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर।

विषय :– प्रकरण संख्या 07 / 2023 अनवान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम ललित जैन एंव अन्य (कोड एंव क्रमांक Q–2073) में निर्णय दिनांक 25.08.2023 की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ सलग्न प्रेषित है। अभियुक्त पर फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड रूल्स 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप अभियुक्त संख्या 01 श्री ललित जैन पुत्र श्री भैरूदान जैन पर 3000 रूपये अभियुक्त संख्या 02 श्री गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर अग्रवाल पर 4000 रूपये एंव अभियुक्त संख्या 03 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचंद पर 8000 रूपये जुर्माना कुल रुपये 15,000 / –(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की गई है। अभियुक्तगण को आदेश की प्रति भेज कर एंव उक्त राशि वसूल कर निम्न बजट हैड मे जमा करवाया जाकर चालान की प्रति इस न्यायालय को भिजवाई जावें तथा संबंधित अभियुक्तगण को राशि जमा होने के चालान की फोटो प्रति भिजवाते हुए सूचित किया जावें।

0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
04	लोक स्वास्थ्य
800	अन्य प्राप्तियाँ
(3)	खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि।

सलंग्न:– निर्णय की प्रमाणित प्रति

(कमला अलारिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः कमला अलारिया, आर.ए.एस.)

आवेदकः–
श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण/अभियुक्तगणः–

1. ललित जैन पुत्र श्री भैरूदान जैन, खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक
   फर्मः–मैसर्स भैरूदान जैन किराणा स्टोर, आई एस मकराना, नागौर 341505
   निवासीः– मकराना, जिला नागौर 341505
2. गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर अग्रवाल, मालिक
   फर्मः– मैसर्स गीताजली एजेन्सीज, एस.एस.–60 राजधानी कृषि उपज मण्डी, कुकरखेड़ा, सीकर रोड़, जयपुर 302013
3. राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचन्द, मालिक
   फर्मः– मैसर्स राकेश एण्ड संस, 01/56 सिरसी रोड़, कनकपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर 302012

प्रकरण संख्या :–07/2023

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

उपस्थितः–

1. अभियुक्त संख्या 2 जरिए अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत
2. अभियुक्त संख्या 01 व 03

–ःनिर्णयः–

दिनांक :– 25 अगस्त, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.12.2022 को समय 01:30 पी.एम. पर फर्म मैसर्स भैरूदान जैन किराणा स्टोर, आई एस मकराना पर पॅहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

व्यक्ति श्री ललित जैन पुत्र श्री भैरूदान जैन खाद्यकरोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के आधार कार्ड आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिया पेश कि, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक एंव गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर काला नमक (सुमित स्पेशल) के 1–1 किलोग्राम वाले 12 पैकेट एक रैक में आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए मिले। मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में विकेता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ काला नमक (सुमित स्पेशल) के 1–1 किलोग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत विक्रेता मालिक के बताए अनुसार रू. 180/–नगद (अक्षरे रूपये एक सौ अस्सी मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह काला नमक (सुमित स्पेशल) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विकेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक **Q-2072** लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2072 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। कारोबारकता एंव मालिक ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ललित जैन एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म न. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/960 दिनांक 27.12.2022 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/1346/Act/2022/171 दिनांक 15.12. 2022 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना काला नमक (सुमित स्पेशल) मिसब्राण्डेड है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जाच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांकः–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/960 दिनांक 27.09.2022 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(4) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स गीतांजलि एजेंसी, जयपुर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 22.12.2022 तथा प्राप्त दस्तावेज मय आगामी खरीद बिल खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रतियां संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(5) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स राकेश एण्ड संस, जयपुर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 24.01.2023 तथा प्राप्त दस्तावेज मय खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रतियां संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(10) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ काला नमक (सुमित स्पेशल) मिसब्राण्डेड विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव **3(1)(zf)(C)(i) Misbrand [Use by/Expiry not given}** का उल्लंघन पाया, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(11) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 14.07.2023 को अभियुक्तगण 01 एंव 02 ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अभियुक्तगण संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ काला नमक मिसब्राण्ड की हमें जानकारी नहीं थी। मैं पैकिंग बन्ध माल विक्रय करता हूं, जो कि मैनें गीतांजली ऐजेन्सी से बिल न. 473 दिनांक 09.12.2023 क्रय किया था। मैं विनिर्माता नहीं हुं। अभियुक्त संख्या 02 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिहं शेखावत ने अपना जवाब पेश कर बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ काला नमक का नमुना मिस–ब्राण्डेड **(Expiry not given)** होना पाया गया किया, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। मेरी फर्म गीतांजली एजेन्सीज रिटेल तथा होलसेल में पैकिंग बन्द माल विक्रय करती है जो कि मैनें राकेश एण्ड सन्स, कनकपुरा इण्स्ट्रीयल एरिया से बिल संख्या 945 द्वारा क्रय किया था। मैं विनिर्माता नहीं हुं। अभियुक्त संख्या 01 एंव 02 का जवाब शामिल मिसल है। बहस अभियुक्तगण सुनी गई। अभियुक्त वकील ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य पदार्थ के लेबल को पढने से मालूम हो जाता है कि उस पर एक्पायरी अवधी दर्ज है। अभियोगी ने खाद्य सुरक्षा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

एंव मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधारात्मक नोटिस की कार्यवाही भी नहीं की है। अतः हस्तगत प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 14.07.2023 को अभियुक्त संख्या 03 को पुनः नोटिस जारी किया, जिसकी सुनवाई तिथि को अभियुक्त संख्या 3 उपस्थित होकर जवाब पेश कर बताया कि खाद्य पदार्थ काला नमक का विक्रय कर रहे है वो जांच रिपोर्ट में एक्सपायरी दिनांक नहीं लिखने से मिसब्राण्डेड पाया गया है। हमने पैकेजिंग में एक्सपायरी दिनांक की जगह 24 **month from packaging** लिखा है। हमें खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग की जानकारी नहीं थी। अतः कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करें।

(12) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवाबों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं LS/1346/Act/2022/171 दिनांक 15.12.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion-The sample of Black Salt (Sumit Special brand) bearing Code no. and Sr. no. Q-2072 of Designated Offier cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded Under Section 3 (1) (zf) (C) (i) of Food Safety and Standards Act 2006.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता आत्माराम से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ काला नमक (सुमित स्पेशल) नमूना नं. Q-2072 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 52 एंव 3 (1) (zf) (C) (i) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 52

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zf) "मिथ्याछाप वाला खाद्य" से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है–

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रायायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है

(6) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा. रि/2022/960 दिनांक 27.12.2022 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2072 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर अभियुक्तगण 01 से 03 दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त संख्या 01 श्री ललित जैन पुत्र श्री भैरूदान जैन पर 3000 रूपये अभियुक्त संख्या 02 श्री गिर्राज अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर अग्रवाल पर 4000 रूपये एंव अभियुक्त संख्या 03 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचंद पर 8000 रूपये कुल जुर्माना रुपये 15,000/–(अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्तगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नागौर को भेजी जावे। अभियुक्तगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्तगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 25.08.2023 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी सत्यमेव जयते

(कमला अलारिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी